



कार्यालय: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मानचित्र सं. २१ / मा.खान/जोन-1/14
मै. एस.आर.बी. प्रोमोटर्स प्रा.लि.
द्वारा डायरेक्टर श्री हरेन्द्र सिंह खोखर,
ए-198, प्रथम तल, सेक्टर-63
नोरडा, गौतमबुद्ध नगर-201301

दिनांक: 15 फरवरी, 2014

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 04.05.13 के संदर्भ में खसरा सं. 308, 309, 310, 311 व 312 ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग मानचित्र सं.-318/जोन-1/जी.एच./13-14 की उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 03.10.13 को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

1. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी.डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि सार्वजनिक सड़क की ओर न खुले।
6. बिजली की लाईन से निश्चित सीमा के अन्दर कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
7. सड़क सर्वेस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
9. यह मानचित्र उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
10. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
11. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
12. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
13. पर्यावरण की दृष्टि से उ.प्र. राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम प्रत्येक हेक्टेयर 50 पेड़ लगाना अनिवार्य होंगे।

14. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण-पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
15. 300 वर्गमी. या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था करना अनिवार्य है।
16. 1200 मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
17. संरचना सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा तथा आप द्वारा संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
18. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूूर्ति प्रमाण-पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं समस्त विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।
19. निर्धारित 45.0 मी. महायोजना मार्ग में विस्तार हेतु स्थल पर रोड के भाग को छोड़ते हुए निर्माण/विकास कार्य किया जायेगा। बाउण्ड्री ठाल का निर्माण रोड वाइडेनिंग की भूमि के बाद किया जायेगा।
20. 15 प्रतिशत आवश्यक ग्रीन जन सामान्य हेतु छोड़ना होगा।
21. भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद/विवाद की स्थिति में गानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा तहसील एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा भूमि विहित करार ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
22. उक्त क्षेत्र में 75 प्रतिशत बाह्य विकास शुल्क जमा होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य कराये जायेंगे।
23. नाली, चकरोड, ग्राम समाज व निगम/सरकारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य/विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
24. अतिरिक्त शर्त स्वीकृति मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरणा है, जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक : 1. एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

प्रतिबन्ध :-माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं तत्कर्म में जारी न्यायालय आदेश के अनुपालन में विकासकर्ता द्वारा रु. 100/- के नॉन जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर दिनांक 28.01.14 को निवेदनबद्धता दी गयी है कि विभिन्न शुल्क की नियागवली आ जाने पर आरोपित होने वाले शुल्कों को जमा कर दूँगा तथा प्राधिकरण को वजन देता हूँ कि यदि मैं शुल्क नियागवली आ जाने पर शुल्क जमा नहीं करता हूँ तो उपरोक्त सम्बन्धित अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा मैं उक्त संदर्भ में किसी तरह का कोई वाद न्यायालय में दायर नहीं करूँगा।



पत्रांक : एमपी/

दिनांक /

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक
मो.वि.प्रा., गाजियाबाद